न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 37/2022 राजस्व अपील

1. हरिसिंह पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी गांवडी तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

(अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 10.12.2021 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरिसिंह मुकदमा संख्या 166/2021 अन्तर्गत धारा 91 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

उपस्थिति : श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांकः 06.05.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट ने ग्राम गांवडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. पर सम्वत 2078 में रबी की फसल काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बिना ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 30 दिन के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 10.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को ना तो जवाब का मौका दिया व ना ही सुनवाई व सबूत का मौका दिया। पीडित पक्ष को सजा जैसे मुकदमे में पूर्ण सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय पारित करना चाहिये। पटवारी हल्का द्वारा झूंठी रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई निर्णय व सबूत नहीं होने के बावजूद भी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर सजा कर कानूनी गलती की है। अपीलान्ट की ओर से इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलान्ट ने ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया है। उक्त भूमि आज दिनांक को मौके पर खाली है एवं अपीलान्ट भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार सिकन्दरा के निर्णय दिनांक 10.12.2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी कर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल कर पेनल्टी व 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अपीलान्ट का ग्राम गावडी तहसील सिकराय स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय स्थित भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि आज दिनांक को मौके पर खाली होना एवं अपीलान्ट का भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस आशय के साथ आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि गावडी तहसील सिकराय स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 88 रकबा 0.60 है. पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना, उक्त भूमि मौके पर खाली होना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा सत्यापित किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.12.2021 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा स्थिति में सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश दिनांक 10.12.2021 यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.05.23 18:19:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official